

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07092020-221593
SG-DL-E-07092020-221593

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 126
No. 183]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942	[N. C. T. D. No. 126

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

सं.910/नियम/डी.एच.सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक नियम, 1970 में संशोधन के परिणामस्वरूप, जिसके द्वारा “जिला एवं सत्र न्यायाधीश” एवं “जिला एवं सत्र न्यायाधीश- सह-विशेष न्यायाधीश (पी सी अधिनियम) (सी बी आई)” को क्रमशः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश” एवं “प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश- सह- विशेष न्यायाधीश (पी सी अधिनियम) (सी बी आई)” के रूप में पुनः नामोनिर्दिष्ट किये गये हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 & 227 एवं इसको इस निमित्त अन्य समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, अधिसूचित करता है कि अब से जब भी, यह शब्द “जिला एवं सत्र न्यायाधीश” एवं “जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह विशेष न्यायाधीश (पी सी अधिनियम) (सी बी आई)” इस न्यायालय द्वारा अधिसूचित किसी नियम एवं व्यवहार निर्देश में आते हैं, तो इसे क्रमशः “प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश” एवं “प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पी सी अधिनियम) (सी बी आई)” के रूप में पढ़ा जाये।

न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोज जैन, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 7th September, 2020

No.910/Rules/DHC.—Consequent upon amendment in Delhi Higher Judicial Rules, 1970 by Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi whereby posts of “District and Sessions Judge” and “District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI)” have been redesignated as “Principal District and Sessions Judge” and “Principal District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI)” respectively, High Court of Delhi in exercise of powers under Articles 225 & 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, hereby notifies that henceforth the words “District and Sessions Judge” and “District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI)” wherever, they occur in any Rules and Practice Directions notified by the this Court be read as “Principal District and Sessions Judge” and “Principal District & Sessions Judge-cum-Special Judge (PC Act) (CBI)” respectively.

BY ORDER OF THE COURT,
MANOJ JAIN, Registrar General